प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

युआईडी संख्या : UPFS/2023/100013/GKP/GORAKHPUR/1473/CFO

प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या

दिनांक: 09-11-2023

ब्लॉक / टावर

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स S S PUBLIC SCHOOL पता ARAZI NO124 MI, VILLAGE RAANPUR, POST PATRA,-,GORAKHPUR तहसील - SADAR प्लाट एरिया 2788.88 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1388.18 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमे -

बेसमेन्ट की संख्या

	ACTE SITE STATE OF THE	वरामः ८ वरा राख्या	01415
A	2	0	6.93 mt.
है। भवन का अधिभोग	मेसर्स S S PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है	। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि	सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन०बी०सी० एवं
तत्संबंधी भारतीय मान	क ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित कर	वी गवी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन	अधिकारी द्वारा दिनांक 14-11-
2023 को भवन स्वा	मी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री VIJAY SINGH के र	नाथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि र्	पुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार
अधिस्थापित पायी गयी	। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर से	फ्टी सर्टिफिकेट) एन०बी०सी० की अधिभोग	श्रेणी Educational के अन्तर्गत
वैधता तिथि 14-11-	2023 से 13-11-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त	के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नि	नेयमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन
व्यवस्थाओं का अनुरक्ष	ण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापि	त की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी	कमी के कारण किसी भी घटना के
लिए मेसर्स S S PUB	BLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/ह	ोगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीक	रण निर्धारित समयावधि के अन्दर न
कराये जाने पर निर्गत	अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, f	जेसके लिए मेसर्स S S PUBLIC SCHOO	L अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार
होगा/होगें।			

Note: 1-एफ0एस0ओ० की संस्तुति व आवेदक के द्वारा अपलोड किये गये प्रपत्रों के क्रम में शासनादेश संख्या- 187/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016 दिनांक 07.01.22 के अनुसार निर्गत है।

2022/905(34)/2016 दिनांक 07.01.22 के अनुसार निर्गत है। 2-स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को कार्यशील रखना अनिवार्य होगा।

3-स्थापित फायर पम्प को सदैव आटोमोड पर रखना अनिवार्य होगा। 4-मानवित्र तथा आवेदन में दर्शाये गये भाग के अलावा अतिरिक्त निर्माण अथवा अधिभोग हेतु अलग से विभागीय स्वीकृति लेना अनिवार्य

<u>"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा</u> । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 14-11-2023

स्थान : GORAKHPUR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Jai Prakash Singh 49E14DDDAB657D84AD71266898C61B1FE4333961

14-11-2023

Note: - Kinidy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.



Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur